आलेख्य

संख्या– 791/पांच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/सर्विलांस अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊः दिनांक : 06 अप्रैल, 2020**

विषयः प्रदेश में कोविड–19 से बचाव/रोकथाम हेतु विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों की चिकित्सीय जांच एवं ट्रैकिंग तथा कोविड–19 समर्पित चिकित्सीय इकाई में भर्ती रोगियों की ट्रैकिंग हेतु निगरानी प्रणाली (surveillance system) को सुदृढ बनाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय से संबंधित सरकार व शासन द्वारा समय–समय पर **प्रदेश में कोविड–19 से बचाव/रोकथाम हेतु** विभिन्न माध्यमों से प्रसारित निर्देशों के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में व्याप्त कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप के सन्दर्भ में कोविड–19 से संबंधित विभिन्न श्रेणियों के बड़ी संख्या में व्यक्तियों, जिन्हें निगरानी में रखने की आवश्यकता है, का सर्विलांस करने, सर्विलांस कार्य में सेवारत् फील्ड टीमों की गतिविधियों को सहयोग प्रदान करने, चिकित्सा इकाईयों में रोगियों की निरन्तर ट्रैकिंग करने तथा कोविड–19 संबंधी सूचनाओं का प्रभावी रूप से विभिन्न हितधारकों के साथ प्रवाह/आदान–प्रदान सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश की विद्यमान निगरानी प्रणाली (surveillance system) को और सुदृढ करने की परम आवश्यकता है।

2– अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना संक्रमण से बचाव व इसकी रोकथाम हेतु निगरानी प्रणाली (surveillance system) को सुदृढ़ता प्रदान करने के संबंध में शासन स्तर पर हुए व्यापक विचार–विमर्शोपरान्त समुचित दिशा–निर्देश पारित किए जाने का निर्णय लिया गया है जिसके अनुसरण में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों को इस आशय से प्रस्तुत किया जा रहा है कि कृपया इसका शत् प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए :–

(1) व्यक्तियों की श्रेणी जिन्हें सर्विलांस के अन्तर्गत रखने की आवश्यकता है :–

(i) चिन्हित विदेश यात्रा कर भारत वापय आये यात्री
(ii) कोविड–19 से ग्रस्त रोगियों (positive tested) के सम्पर्क में आए उच्च–जोखिम एवं कम–जोखिम वाले व्यक्ति।
(iii) कोविड–19 की रोकथाम संबंधी गतिविधियों या ट्रैकिंग के दौरान पाये गये अन्य संदिग्ध व्यक्ति।

vk sir.go-com4

–2–

(iv) राज्य व जनपदीय कॉल–सेन्टर पर फोन करने वाले संदिग्ध व्यक्ति, जिनके लिए ट्रैकिंग या/एवं नमूना संग्रहण (sample collection) आवश्यक हो।

(v) अन्य राज्यो से आये प्रवासी (अन्तर्राज्यीय यात्री)

(2) सर्विलांस हेतु सूचना का प्रवाह/आदान–प्रदान :

जनपद स्तर पर ट्रैकिंग टीमें –

(i) फील्ड ट्रैकिंग टीमें– प्रारम्भिक गृह भ्रमण एवं प्रपत्र–A में आंकड़ों का अंकन पूर्ण करने के लिए प्रत्येक ट्रैकिंग टीम हेतु एक पूर्व निर्धारित आई0डी0 जनपद को उपलब्ध करायी जाएगी, इसके अतिरिक्त जनपद अपने स्तर से भी नयी आई0डी0 किसी नयी टीम हेतु बना सकते हैं।

(ii) कार्यालय में स्थापित ट्रैकिंग टीमें (कॉलिग टीम्स)– भारत में आगमन की तिथि से 28 दिवसों तक यात्रियों को कॉल करने के लिए।

(3) चिन्हित विदेशी यात्री :

(i) विदेशी यात्रियों की सूची समय–समय पर राज्य सर्विलांस अधिकारी (एस0एस0ओ0) द्वारा भारत सरकार/उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों/सीमा चौकियों/कॉल सेन्टरों से प्राप्त होती है।

(ii) राज्य सर्विलांस अधिकारी (एस0एस0ओ0) द्वारा उक्त सूची में से ट्रैक किए जाने वाले व्यक्तियों के विवरण का डिजिटलीकरण करके इसे जनपद सर्विलांस अधिकारी (डी0एस0ओ0) को ऑनलाइन सर्विलांस प्लेटफार्म (dgmhup-govid19.in/upcovid19Tracking.apk) के माध्यम से सन्दर्भित (assign) किया जायेगा।

(iii) जनपद सर्विलांस अधिकारी द्वारा उसके जनपद को सन्दर्भित किए गये व्यक्तियों का विवरण जनपद स्तर पर देखा जा सकेगा और जनपद में उपलब्ध फील्ड ट्रैकिंग टीमों में से किसी एक टीम को आवंटित किया जायेगा और **इसकी एंट्री** सर्विलांस प्लेटफार्म पर अंकित की जायेगी।

(iv) ट्रैकिंग टीम की प्रारम्भ में बनायी गयी आई0डी0 की संख्या **संलग्नक–1** पर उपलब्ध है। जनपद सर्विलांस अधिकारी को पूर्व से बनी आई0डी0 से अग्रेत्तर आवश्यकतानुसार और ट्रैकिंग टीम आई0डी0 सृजित एवं आवंटित करने संबंधी एडमिन के अधिकार होंगे।

(v) फील्ड ट्रैकिंग टीम के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगें :–

(क) ऑनलाइन तथा मुद्रित प्रपत्र–"A" पर पूर्व से भरे गये कतिपय विवरण सहित सर्विलांस हेतु संबंधित टीमों को आवंटित व्यक्तियों की लाइन–लिस्टिंग का अवलोकन करना।

(ख) पूर्व–भरे विवरण सहित प्रपत्र–"A",दोनों ही फार्मेट यानि–ऑनलाइन एवं प्रिंट–करने–योग्य प्रारूप में उपलब्ध होगा। टीमों द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी/जनपद सर्विलांस अधिकारी के कार्यालय से इन प्रपत्रों का प्रिन्टआउट निकाला जा सकता है अथवा सर्विलांस प्लेटफार्म के माध्यम से इस सूची को एक्सेस (access) किया जा सकता है।

(ग) फील्ड ट्रैकिंग टीम द्वारा पूर्व भरे विवरण का सत्यापन किया जायेगा और शेष विवरण को सीधे ऑनलाइन या प्रपत्र–"A" की पूर्व–मुद्रित प्रति पर भरा जायेगा, (**संलग्नक–2** में प्रपत्र का प्रारूप संलग्न है)।

(घ) जनपद सर्विलांस अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि फील्ड ट्रैकिंग टीमों द्वारा उनको आवंटित व्यक्तियों हेतु प्रस्तुत किए गये प्रपत्र–"A" की हार्ड प्रति के प्रस्तुत करने पर डेटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा सर्विलांस प्लेटफार्म पर प्रपत्र–"अ" में विवरण भरा जा रहा है।

(ड़) फील्ड ट्रैकिंग टीमों द्वारा विदेशी यात्रियों को "होम क्वेरेन्टाइन एप्लीकेशन" (https://dgmhup-covid19.in/COVID19.apk, google play store में UP self quarantine app के नाम से) को डाउनलोड करने की सलाह दी जायेगी, (मैनुअल **संलग्नक–3** पर उपलब्ध है), और उनको अपने लक्षणों (symptoms) को दैनिक रूप से एप्लीकेशन पर अद्यतन करने हेतु कहा जायेगा।

(vi) मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में, कॉल के माध्यम से कोविड–19 के लक्षणों की ट्रैकिंग के लिए गठित जनपदीय सर्विलांस टीम (कार्यालय में स्थापित ट्रैकिंग टीम) द्वारा गृह भ्रमण के माध्यम से प्रारम्भिक ट्रैकिंग के पश्चातः–

(क) डी0एस0ओ0/सी0एम0ओ0 टीम, जो वर्तमान में भारत आगमन के 28 दिनों तक संर्विलांस के अन्तर्गत सभी विदेशी यात्रियों को कॉल करने में लगी हुई है, को किसी विदेशी यात्री में कोविड–19 के लक्षण परिलक्षित होने पर, उसे निरन्तर कॉल किया जाता रहेगा।

(ख) प्रत्येक यात्री को केवल ऑनलाइन सर्विलांस प्लेटफार्म (मोबाइल/ टेबलेट/वेब एप्लीकेशन) के माध्यम से ट्रैक करके दैनिक लक्षणों को अंकित किया जायेगा।

(ग) यदि ऑनलाइन सर्विलांस प्लेटफार्म का किन्ही कारणोंवश जैसे कनेक्टीविटी अवरोध से उपयोग नहीं किया जाता है तो कॉल के माध्यम से एकत्र किया गया ट्रैकिंग विवरण एक प्रपत्र में

अभिलिखित किया जायेगा और यह सुनिशिचित किया जायेगा कि डी0एस0ओ0/सी0एम0ओ0 आफिस ट्रैकिंग टीमों द्वारा की गयी कॉल के माध्यम से एकत्र किये गये आंकड़े जो प्रपत्र पर अंकित किए गये है, उनकी दैनिक आधार पर सर्विलांस प्लेटफार्म पर प्रविष्टि की जाए।

(vii) किसी विदेशी यात्री द्वारा अपने लक्षण होम क्वेरेन्टाइन एप पर अद्यतन किये जाने अथवा यदि कार्यालय में स्थापित ट्रैकिंग टीम/अथवा कॉल सेन्टर के आंकड़ों के आधार पर सर्विलांस प्लेटफार्म पर लक्षण अद्यतनकिये जाते हैं तो इन्हें डी0एस0ओ0 पैनल पर आवश्यक कार्यवाही हेतु ध्वजांकित (flagged) किया जायेगा।

(viii) यात्रियों के रोगसूचक (symptomatic) होने के बारे में सूचना का स्रोत –

(क) प्रारम्भिक भ्रमण के दौरान फील्ड ट्रैकिंग टीम द्वारा चिन्हित।

(ख) कार्यालय में स्थापित ट्रैकिंग टीमों द्वारा यात्रियों को कॉल करने के दौरान एकत्र की गयी सूचना के आधार पर चिन्हित।

(ग) राज्य एवं जनपद स्तर पर स्थापित कॉल सेन्टर द्वारा एकत्र की गयी सूचना के आधार पर चिन्हित।

(ग) यात्री द्वारा होम क्वेरेन्टाइन एप्लीकेशन पर अद्यतन की गयी सूचना के आधार पर चिन्हित।

(ix) यदि व्यक्ति में हल्के लक्षण हैं तो डी0एस0ओ0 द्वारा इन रोगसूचक ध्वजांकित मामलों को संस्थागत क्वेरेन्टाइन को सन्दर्भित/आवंटित किया जायेगा।

(x) यदि यात्री में गम्भीर लक्षण परिलक्षित होते हैं तो जनपद के सी0एम0ओ0/सी0एम0एस0 अथवा अन्य नियमित चिकित्सा अधिकारी के विवेकानुसार उसे जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन अथवा कोविड–19 रोगियों को चिकित्सीय देखभाल प्रदान करने हेतु स्थापित किसी अन्य चिकित्सा इकाई में ले जाया जायेगा।

(xi) सभी विदेशी यात्रियों, जो भारत में आगमन से 28 दिवसों (14 दिन नहीं) के अन्दर सिम्पोमेटिक पाये जाते हैं, को फैसिलिटी क्वेरेन्टाइन में भेज दिया जायेगा जहां पर उनका सैम्पल एकत्र करके शीघ्रातिशीघ्र जांच हेतु संबंधित प्रयोगशाला में भेज दिया जायेगा।

(xii) सर्विलांस की स्थिति को डी0एस0ओ0/एस0एस0ओ0/सी0एम0ओ0/डी0एम0 लॉगइन के माध्यम से तत्समय अवलोकित किया जा सकता है।

(4) कोविड–19 के पाज़िटिव रोगियों के सम्पर्क में आए उच्च–जोखिम एवं कम–जोखिम वाले व्यक्ति :

(i) उच्च–जोखिम वाले सम्पर्क का तात्पर्य कोविड–19 से ग्रसित रोगियों के उन सम्पर्कों से है जो निम्नलिखित मानदण्डों को पूर्ण करते हैं :–

vk sir.go-com4

- जिन्होने रोगी के शरीर के तरल पदार्थ (श्वसन मार्ग का स्राव, रक्त, उल्टी, लार, मल–मूत्र) को छुआ हो।
- जिनका बिना पी0पी0इ0 के शारीरिक जांच सहित रोगी के शरीर से सीधा भौतिक सम्पर्क था।
- जिन्होन रोगी के लिनन, कपड़ों या बर्तन को छुआ हो या साफ किया हो।
- जो रोगी के साथ एक ही घर में रहता हो (घरेलू सहायक, ड्राइवर या अन्य कोई स्टाफ सहित)
- जो बिना कोई सावधानी बरते कोविट–पुष्ट रोगी के समीप (03 फिट की परिधि में) सम्पर्क में है।
- यात्री जो वाहन में कोविड–19 के लक्षणयुक्त व्यक्ति केनिकट (03 फिट की परिधि में) 06 घण्टे से अधिक अवधि तक रोगीजो बाद में जांच में पाजिटिव निकलता है, के सम्पर्क में रहता है।

(ii) कम जोखिम वाले सम्पर्क का तात्पर्य कोविड–19 से ग्रसित रोगियों के उन सम्पर्कों से है जो निम्नलिखित मानदण्डों को पूर्ण करते हैं :–

- एक ही केबिन के यात्री या सम्पर्क में आये अन्य व्यक्ति।
- उपयोग किया गया एक ही समान स्थान (स्कूल में एक कक्षा/एक ही कक्ष में कार्यरत) एवं कोविड–19 के पुष्ट या संदिग्ध रोगी से उच्च जोखिम एक्सपोजर न होना।
- एक ही वातावरण व साधन में यात्रा की हो, (बस/रेल/वायुयान/यात्रा के अन्य साधन) लेकिन उच्च जोखिम का एक्सपोजर न होना।
- सभी व्यक्तिजो पाजिटिव रोगी से मिले हों/भौतिक सम्पर्क (जैसे हाथ मिलाना/थपथपाना) में आये हों लेकिन उच्च जोखिम सर्म्पक की श्रेणी में नहीं आते हैं।

(iii) कोविड–19 के पाज़िटिव रोगियों के उच्च–जोखिम एवं कम–जोखिम के सम्पर्कों हेतु सूचना का प्रवाह निम्नानुसार होगा :–

(क) प्रयोगशाला में किसी व्यक्ति की जांच पाजिटिव पाये जाने एवं जांच के परिणाम संबंधित डी0एस0ओ0 एसं एस0एस0ओ0 को उपलब्ध करा दिये जाने पर, उस रोगी के उच्च–जोखिम एवं कम–जोखिम वाले सम्पर्कों का पता लगाने का कार्य जनपद की फील्ड सर्विलांस टीम के नेतृत्व में किया जायेगा।

(ख) एस0एस0ओ0, डी0एस0ओ0 एवं ट्रैकिंग टीम को उच्च–जोखिम एवं कम–जोखिम वाले सम्पर्कों का विवरण अंकित करनेएवं इन व्यक्तियों का पता लगाने हेतु फील्ड ट्रैकिंग टीम को आवंटित करने के लिए सर्विलांस प्लेटफार्म पर एक्सेज प्राप्त होगी।

(ग) कोविड–19 (कोरोना वायरस) फैलने से रोकने के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कोविड–19 से संक्रमित व्यक्तियों की सूचना मुख्यमंत्री हेल्पलाइन–1076 पर देने एवं उन सन्दर्भों पर कार्यवाही के संबंध में जारी शासनादेश संख्या–732/पांच–5–2020, दिनांक 26 मार्च, 2020 में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(5) फील्ड ट्रैकिंग टीम के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगे :–

(i) उच्च–जोखिम एवं कम–जोखिम वाले सम्पर्कों को चिन्हित करना और उनका विवरण या तो प्रपत्र–''अ'' (संलग्नक–2 पर संलग्न प्रारूप) पर लिखित रूप से अंकित करना अथवा ट्रैक किये जाने वाले व्यक्तियों का विवरण सीधे सर्विलांस प्लेटफार्म पर भरना।

(ii) सर्विलांस हेतु चिन्हित/आवंटित किए गये उच्च–जोखिम एवं कम–जोखिम वाले सम्पर्कों की लाइन–लिस्टिंग को अवलोकित करना।

फील्ड ट्रैकिंग टीम द्वारा पूर्व–भरे विवरण का सत्यापन किया जायेगा और शेष विवरण को पूर्व–मुद्रित प्रपत्र–''अ'' की हार्ड प्रति (संलग्नक–2 पर संलग्न प्रपत्र) या सीधे सर्विलांस प्लेटफार्म पर भरा जाएगा।

(iv) डी0एस0ओ0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि फील्ड ट्रैकिंग टीमों द्वारा उनको आवंटित व्यक्तियों हेतु प्रस्तुत किए गये प्रपत्र–''अ'' की हार्ड प्रति के प्रस्तुत करने पर डेटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा सर्विलांस प्लेटफार्म पर प्रपत्र–''अ'' में विवरण भरा जा रहा है।

(v) फील्ड ट्रैकिंग टीमों द्वारा व्यक्तियों को ''होम क्वेरेन्टाइन एपलीकेशन'' (https://dgmhup-covid19.in/COVID19.apk, google play store में UP self quarantine app के नाम से) को डाउनलोड करने की सलाह दी जायेगी, (मैनुअल संलग्नक–3 पर उपलब्ध है), और उनको अपने लक्षणों (symptoms) को दैनिक रूप से एपलीकेशन पर अपडेट करने हेतु सूचित किया जायेगा।

(vi) मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में, कॉल के माध्यम से कोविड–19 के लक्षणों की ट्रैकिंग के लिए गठित जनपदीय सर्विलांस टीम (कार्यालय स्थापित ट्रैकिंग टीम) द्वारा गृह भ्रमण के माध्यम से प्रारम्भिक ट्रैकिंग के पश्चातः–

(क) प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक लक्षणों को केवल सर्विलांस प्लेटफार्म (मोबाइल/टेबलेट/वेब एपलीकेशन) के माध्यम से ट्रैक किया जायेगा।

(ख) यदि एप्लीकेशन का किन्ही कारणोवश जैसे कनेक्टीविटी अवरोध से, उपयोग नहीं किया जाता है तो कॉल के माध्यम से एकत्र

की गयी ट्रैकिंग विवरण पेपर पर अभिलिखित किया जायेगा और यह सुनिशिचित किया जायेगा कि डी0एस0ओ0 / सी0एम0ओ0 आफिस ट्रैकिंग टीमों द्वारा की गयी कॉल के माध्यम से एकत्र किये गये आंकड़े जो पेपर पर अंकित किए गये है, उनकी दैनिक आधार पर सर्विलांस प्लेटफार्म पर प्रविष्टि की जाए।

(ग) डी0एस0ओ0 / सी0एम0ओ0 टीम द्वारा सर्विलांस के अन्तर्गत समस्त उच्च–जोखिम एवं कम–जोखिम वाले सम्पर्कों पर कॉल किया जायेगा जो रोगी के सम्पर्क में आने के 28 दिन तक आंकड़ों को होम क्वेरेन्टाइन एपलीकेशन पर नहीं भर रहें है।

(घ) यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी ट्रैकिंग टीम द्वारा पेपर पर अंकित आंकड़ों को दैनिक आधार पर सर्विलांस प्लेटफार्म पर अंकित किया जाए।

(ड) डी0एस0ओ0 / सी0एम0ओ0 द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उनके जनपद में सभी उच्च–जोखिम वाले सम्पर्क संस्थागत क्वेरेन्टाइन में चले जायें।

(ढ) किसी कम–जोखिम वाले सम्पर्क द्वारा लक्षणों के संबंध में रिर्पोट होम क्वेरेन्टाइन एप पर रिपोर्ट की जाती है अथवा सर्विलांस प्लेटफार्म पर लक्षणों को अद्यतन किया जाता है तो इस डी0एस0ओ0 पैनल पर आवश्यक कार्यवाही हेतु ध्वजांकित किया जायेगा।

(त) यदि व्यक्ति में हल्के लक्षण हैं तो डी0एस0ओ0 द्वारा तदोपरान्त इन रोगसूचक ध्वजाांकित मामलों को संस्थागत क्वेरेन्टाइन को सौंप दिया जाएगा।

(थ) हालांकि यदि कोई उच्च–जोखिम या कम–जोखिम वाले सम्पर्क में गम्भीर लक्षण परिलक्षित होते हैं तो जनपद के सी0एम0ओ / सी0एम0एस0 अथवा अन्य नियमित चिकित्सा अधिकारी के विवेकानुसार यात्री को जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन अथवा कोविड–19 रोगियों को चिकित्सीय देखभाल प्रदान करने हेतु स्थापित किसी अन्य चिकित्सा इकाई में ले जाया जायेगा।

(द) सभी सिम्टोमेटिक सम्पर्कों (उच्च–जोखिम या कम–जोखिम होने के बावजूद) की जांच कराना अनिवार्य होगा।

(ध) सभी उच्च–जोखिम वाले सम्पर्कों (चाहे सिम्पटोमेटिक हों या असिम्पटोटिक) के सम्पर्क की घटना के 5वें दिन एवं 14वें दिन के मध्य जांच कराना आवश्यक होगी।

(ध) सर्विलांस की स्थिति को डी0एस0ओ0/एस0एस0ओ0/सी0एम0ओ0/डी0एम0 लॉगइन के माध्यम से तत्समय अवलोकित किया जायेगा।

(6) अन्य राज्यों/जनपदों से आये प्रवासी (अन्तर एवं अन्तरा–राज्य)।

(i) शासनादेश संख्या–741/पांच–5–2020, दिनांक 30.3.2020 के अनुसार बी0सी0पी0एम0 द्वारा अपने–अपने क्षेत्रों में चिन्हित राज्य प्रवासियों का विवरण, प्रवासी का दूरभाष संख्या, लक्षण, यदि हों सहित वेब–लिंक–https://bit.ly/3dCx7V0पर भरा जायेगा।

(ii) सभी सिम्पटोमेटिक राज्य प्रवासियों से संबंधित विवरण डी0एस0ओ0 एवं एस0एस0ओ0 पैनल पर उपलब्ध होंगे, जिन्हें दैनिक रूप से देखा जा सकता है।

(iii) उक्त प्रवासी मामलों में एस0एस0ओ0 द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।

(7) कोविड–19 की रोकथाम संबंधी गतिविधियों या ट्रैकिंग के दौरान पाये गये अन्य संदिग्ध व्यक्ति :

(i) सूचना के प्रवाह एवं संबंधित टीमों द्वारा अनुसरित किए जाने वाले प्रोटोकाल उसी प्रकार होंगे जैसे कि बिन्दु–4 में "**कोविड–19 के पाज़िटिव रोगियों के सम्पर्क में आए उच्च–जोखिम एवं कम–जोखिम वाले व्यक्ति**" के लिए निर्दिष्ट हैं।

(ii) कोविड–19 संक्रमण की रोकथाम संबंधी गतिविधियों एवं ट्रैकिंग के दौरान अनुभव किए गये समस्त सिम्पटोमेटिक पहलू डी0एस0ओ0 एवं एस0एस0ओ0 पैनल पर उपलब्ध हैं, जिन्हें दैनिक रूप से अवलोकित किया जा सकता है।

(iii) उक्त प्रकरणों में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

(8) राज्य व जनपदीय कॉल–सेन्टर पर फोन करने वाले संभावित रोगी, जिनके लिए ट्रैकिंग या/एवं सैम्पल कलेक्शन आवश्यक हो:

(i) सूचना के प्रवाह एवं संबंधित टीमों द्वारा अनुसरित किए जाने वाले प्रोटोकाल बिन्दु–3 में **"चिन्हित विदेशी यात्री"** के समान होंगे।

(ii) फील्ड ट्रैकिंग टीम द्वारा सत्यापित सभी सिम्पटोमेटिक संदिग्ध व्यक्तियों का विवरण डी0एस0ओ0 एवं एस0एस0ओ0 पैनल पर उपलब्ध होंगा, जिनका दैनिक रूप से अवलोकन किया जा सकता है।

(iii) उक्त मामलों में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

(9) टेस्टिंग हेतु भेजे जाने वाले सैम्पल :

(i) सैम्पल कलेक्शन हेतु संबंधित सी0एम0ओ0/डी0एस0ओ0/एपीडिमिओलॉजिस्ट/नोडल द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके जनपदों में दैनिक सैम्पलिंग एवं जांच अर्ह/योग्य व्यक्तियों द्वारा विद्यमान प्रोटोकाल के अनुसार निम्नानुसार की जाए :–

(क) कोविड–19 के लक्षणों वाले विदेशी यात्रियों के भारत में आगमन की तिथि से 28 दिनों के अन्दर (14 दिन नहीं)–14 दिवसों का क्वेरेन्टाइन अन्तराल होगा एवं 28 दिवसों तक ट्रैकिंग की जायेगी)।

(ख) पाज़िटिव रोगियों के सभी सिम्पटोमेटिक सम्पर्क (दोनो, उच्च–जोखिक एवं कम–जोखिम)–सूचना प्राप्ति के पश्चात यथाशीघ्र प्राप्त किए जायें।

(ग) पाज़िटिव रोगियों के उच्च–जोखिम वाले सभी सम्पर्कों (सिम्पटोमेटिक या असिम्पटोमेटिक)– सम्पर्क के 5–7 दिवसों के मध्य प्राप्त किए जायें।

(घ) समस्त उच्च जोखिम वाले श्वसन तंत्र के रोगी (SARI) मामले (निजी चिकित्सालयों से भी)।

(ड) आइसोलेशन वार्ड में भर्ती पाजिटिव रोगियों की देखभाल कर रहे समस्त स्वास्थ्य कर्मी एवं सैम्पल लेने वाले लैब–टेक्नीशियन– ड्यूटी के 5वें एवं 14वें दिन।

(त) गम्भीर लक्षणों वाले अन्तर–राज्य एवं अन्तरा–राज्य यात्री–कम से कम 4–6 सैम्पल/इस श्रेणी के जनपदों से एकत्र करना। (इन मानदण्डों में कोई भी परिवर्तन एस0एस0ओ0 कार्यालय द्वारा किया जायेगा।)

(थ) कोविड–19 समर्पित चिकित्सा इकाइयों में यथावश्यक कोविड–19 से ग्रस्त रोगियों के सैम्पलों का अनुश्रवण।

(10) टेस्टिंग प्रयोगशाला स्तर पर सूचनाओं का प्रवाह :

(i) विभिन्न प्रयोगशालाओं को भेजे गये सैम्पल की लाइन–लिस्टिंग वेब एपलीकेशन पर देखी जा सकती है।

(ii) टेस्टिंग प्रयोगशालाओं के प्रभारियों द्वारा उनको आवंटित जनपदों से सैम्पल प्राप्त किया जायेगा एवं प्राप्ति की तिथि को वेब एपलीकेशन पर अद्यतन किया जायेगा।

(iii) यदि किसी अन्य स्रोत से सैम्पल प्राप्त होता है तो प्रयोगशाला प्रभारी द्वारा नये सैम्पल सम्मिलित किए जा सकते हैं।

(iv) सैम्पल की जांच के पश्चात, संबंधित कार्मिक द्वारा सैम्पल के "सन्तोषजनक" अथवा "असन्तोषजनक" होने की सूचना वेब एपलीकेशन पर अपलोड की जायेगी।

(v) "सन्तोषजनक" सैम्पल के लिए–सैम्पल की टेस्टिंग के पश्चात परिणाम की तिथि एव परिणाम वेब एपलीकेशन पर निम्नलिखित रोगियों के सापेक्ष अपलोड की जायेगी :–

(क) ऋणात्मक

(ख) धनात्मक

(ग) इक्विवोकल (Equivocal)

(घ) पुनः सैम्पलिंग की स्थिति में, प्रयोगशाला प्रभारी द्वारा संबंधित डी0एस0ओ0 / सी0एम0ओ0 को तत्काल सूचित किया जायेगा।

(11) कोविड–19 समर्पित चिकित्सा इकाईयों में भर्ती कोविड–19 पाजिटिव रोगियों की ट्रैकिंग:

(i) कोविड–19 समर्पित एल1 चिकित्सा इकाईयों या एल2/एल3 चिकित्सालयों में कोविड–19 पाजिटिव रोगियों को शिफ्ट करने पर डी0एम0ओ0/सी0एम0ओ0 कार्यालय द्वारा सभी कोविड–19 ग्रस्त रोगियों को ट्रैकिंग एवं उनका विवरण अद्यतन किया जायेगा।

(ii) डी0एस0ओ0/सी0एम0ओ0 कार्यालयों को जनपद स्तरीय लॉगइन उपलब्ध करायी जायेगी जिसके माध्यम से कोविड–19 समर्पित चिकित्सा इकाईयों में सन्दर्भित किये गये पाजिटिव रोगियों की लाइन–लिस्टिंग देखी जा सकती है।

(iii) प्रत्येक रोगी से संबंधित निम्नवत स्थिति का अद्यतन किया जाना आवश्यक है:–

(क) भर्ती
(ख) रोगमुक्त होकर स्वस्थ होना (Recovered)
(ग) मृत्यु
(घ) अन्य चिकित्सालय में सन्दर्भित (सन्दर्भित चिकित्सालय का विवरण अंकित किया जाए)

3– कृपया प्रदेश में कोविड–19 ग्रस्त रोगियों, संदिग्ध रोगियों एवं उनकी रोकथाम हेतु सर्विलांस की गतिविधियों एवं सूचनाओं के प्रवाह के संबंध में उक्त ''निगरानी ढांचे संबंधी दिशा–निर्देशों'' का कड़ाई से अनुपालन करने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,
6.4.20
(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव

संख्या–791(1)/पॉच–5–2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।
5. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
06/04/2020
(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

06/04/2020

vk sir.go-com4